

गिरिडीह नगर निगम, गिरिडीह।

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के ज्ञापक- 206 दिनांक- 13.02.18 (P.R. 179024 Urban Development -17-18) के द्वारा प्रकाशित गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों से टॉल टैक्स वसूली की बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना प्रकाशित की गयी थी जिसकी शर्तों को विभागीय वेबसाइट udhd.jharkhand.gov.in पर अपलोड किया गया था एवं नगर परिषद के सूचना पट्ट पर लगाया गया था। उक्त बन्दोबस्ती आम सूचना के शर्त की कंडिका 09 जो निम्नवत् है - " टॉल शुल्क 24(बोबीस) घंटे के लिए मान्य होगा, परन्तु लोडेड गाड़ी के लिए प्रत्येक प्रवेश पर शुल्क देय होगा। गिरिडीह नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत स्थायी रूप से निवास करने वाले वाहन मालिक से/स्थानीय DTO कार्यालय से निर्बंधित बस, ट्रक एवं मालवाहक/व्यवसायिक 407/छः चक्का से उपर के व्यवसायिक वाहनों पर उनके गाड़ी के प्रवेश पर प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा/देय नहीं होगा। इसकी प्रामाणिकता उन्हें बन्दोबस्तधारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।" में आंशिक संशोधन किया जाता है -

शर्त सं0-09, सिर्फ स्थानीय खाली भारी वाहनों से टॉल टैक्स नहीं लिया जायेगा।
अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह

-सह-

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।

ज्ञापक 264 / गिरिडीह, दिनांक 20/2 / 2018

प्रतिलिपि - विज्ञापन प्रबंधक, देशप्राण, गिरिडीह / सन्मार्ग, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं प्रथम पृष्ठ छोड़कर अन्य पृष्ठ पर सरकारी दर पर न्यूनतम साईज (पठनीय) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह

-सह-

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।

ज्ञापक 264 / गिरिडीह, दिनांक 20/2 / 2018

प्रतिलिपि - उपायुक्त, गिरिडीह / अपर समाहर्ता, गिरिडीह / अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह

-सह-

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।

ज्ञापक 264 / गिरिडीह, दिनांक 20/2 / 2018

प्रतिलिपि - सरकार के उप सचिव, नगर विकास विभाग, झारखंड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह

-सह-

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।

ज्ञापक 264 / गिरिडीह, दिनांक 20/2 / 2018

प्रतिलिपि - अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, न0प0, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गिरिडीह।